रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231474
CG-DL-E-30112021-231474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4528] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 2021/अग्रहायण 8, 1943
No. 4528] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 2021/AGRAHAYANA 8, 1943

शिक्षा मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2021

का.आ. 4897(अ).—जबकि, सेवा या लाभ या सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी वितरण प्रक्रियाएं सरल बनती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आती है, और लाभार्थियों को उनकी पात्रता, सहज और निर्बाध तरीके से सीधे प्राप्त होती है और आधार से किसी की पहचान सिद्ध करने के लिए एकाधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है;

और जबकि, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है), पूर्ववर्ती केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को आमेलित करके केंद्रीय प्रायोजित योजना, समग्र शिक्षा (इसमे इसके बाद योजना कहा किया गया है) संचालित कर रहा है- जो वर्ष 2018-19 से एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना है। यह योजना स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक विस्तारित एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

और जबकि, योजना के अंतर्गत, योजना और इसके अधीन जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार,छह से चौदह वर्ष की आयुवर्ग के प्रारम्भिक स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को वर्दी और पाठ्य पुस्तकें (इसमें इसके बाद लाभ कहा गया है) प्रदान की जाती हैं;

और जबकि, इस योजना में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय शामिल हैं;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, एततद्वारा,आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय,स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार की तारीख 2 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 689 के माध्यम से तारीख 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (II) में प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में,ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा विलोपित कृत्यों को छोड़कर, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात: -

(1) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक बच्चे को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।

(2) योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बच्चे को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।

परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र है और उस बच्चे को आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट: www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करनी अपेक्षित हैं,जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में संबंधित विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय में अथवा स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परन्तु जब तक व्यक्ति को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक उसे इस योजना के तहत लाभ, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने किए जाने के अध्यधीन प्रदान किए जाएंगे,अर्थात:

(क) (i) यदि लाभार्थी को पांच वर्ष की आयु (बायोमेट्रिक्स लेकर), उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मीट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची या

(ii) लाभार्थी द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; तथा

(ख) लाभार्थी के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना, अर्थात:-

(i) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम हों; तथा

(ग) योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई प्रस्तुत करना,अर्थात:–

(i) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र या जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या

(v) आर्मी कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह और कि उक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संबंधित विभाग द्वारा विशेष रूप से नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत सहजता से लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संबंधित विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की सभी आवश्यक व्यवस्था करेंगे कि लाभार्थियों को उक्त अपेक्षाओं से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

3. जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से लाभार्थियों के आधार का प्रमाणीकरण नहीं होता,वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:-

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे की प्रमाणीकरण की सुविधा अपनाई जाएगी और राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में संबंधित विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निर्बाध तरीके से लाभों के वितरण के लिए प्रमाणीकरण के साथ फिंगर प्रिंट के साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करेगा;

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहां भी संभव हो और आधारवन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, का प्रस्ताव किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत लाभ वास्तविक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में उनके कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

4. इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी पात्र बच्चे को इस योजना के अधीन लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि वह प्रमाणीकरण के माध्यम से या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाता या नामांकन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने पर ऐसे बच्चे के मामले में जिसे कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, उसे पैरा 1 के उप-पैराग्राफ (3) के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपनी पहचान सत्यापित करके लाभ दिया जाएगा, और जहां लाभ, अन्य दस्तावेजों के आधार पर दिए गए, इसका रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के संबंधित विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 10-2/2021-आईएस.7]

मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2021

S.O. 4897(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, (*hereinafter referred to as the Department*), is administering the Centrally Sponsored Scheme of Samagra

Shiksha (*hereinafter referred to as the Scheme*) – which is an Integrated Scheme for School Education since the financial year 2018-19 after subsuming the erstwhile Centrally Sponsored Schemes of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Sarva Shiksha Abhiyan and Teacher Education. The Scheme is an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class Twelfth, which aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education.

And whereas, under the Scheme, uniform and text books (*hereinafter referred to as the benefit*) are given to the children of the age group of six to fourteen years (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) studying in elementary schools, as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), and in supersession of the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, notification number S.O. 689(E), dated the 2nd March, 2017 (published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II), dated the 2nd March, 2017), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme.

Provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India UIDAI website: www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations through their implementing agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries, who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations through their implementing agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time of Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip or

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; and

(b) Production of any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

(i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card duly signed by the Principal of the school, containing parents names; and

(c) Production of any one of the following documents as proof of the relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card or Employees' State Insurance Corporation Card or Central Government Health Scheme Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations through their implementing agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations through their implementing agencies shall make arrangement for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations through their implementing agencies.

4. Notwithstanding anything contained herein, no eligible child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or furnishing proof of possession of Aadhaar number or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the concerned Department in the State Governments or Union Territory Administrations through its implementing agencies.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories.

[F. No. 10-2/2021-IS.7]

MANEESH GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.30 15:15:52 +05'30'